विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधान मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह का उत्तर

लोक सभा, 22 जुलाई, 2008

अध्यक्ष महोदय,

प्रतिपक्ष के नेता श्री एल.के. आडवाणी जी ने जिन शब्दों में मेरे कामकाज के बारे में बयान किया है वे अपमानजनक हैं। उन्होंने मुझे सबसे कमजोर और एक निकम्मा प्रधान मंत्री बताया है। उन्होंने इस कथन से प्रधान मंत्री के पद की गरिमा को कम किया है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारी सरकार को गिराने की कम से कम तीन बार कोशिशें की हैं। लेकिन हर बार उनके ज्योतिषियों ने उन्हें गुमराह किया है। मुझे यकीन है कि आज फिर यही होगा। श्री आडवाणी जी चूंकि काफी बुजुर्ग हो चुके हैं इसलिए मैं उनसे उनकी सोच में बदलाव की उम्मीद नहीं करता। लेकिन, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपने और भारत के भले के लिए कम से कम अपने ज्योतिषियों को अवश्य बदल दें ताकि वे आगे होने वाली घटनाओं की ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर सकें।

श्री आडवाणी जी ने जो-जो आरोप लगाए हैं उनमें से हरेक का खण्डन करने में मैं सदन का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि दूसरों पर आरोप मढ़ने से पहले श्री आडवाणी जी को स्वयं कुछ आत्ममंथन कर लेना चाहिए। क्या हमारा राष्ट्र ऐसे गृह मंत्री को माफ कर सकता है जो तब सो रहा जब हमारी संसद के दरवाजे पर आतंकवादी दस्तक दे रहे थे? क्या हमारा देश ऐसे व्यक्ति को

माफ कर सकता है जो बाबरी मस्जिद गिराने और उसके बाद हुए विनाशकारी घटनाक्रमों के लिए उकसाने के लिए अकेले जिम्मेदार रहा? अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अचानक पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया और वहां उन्होंने जिन्ना साहब के बारे में नई विशेषताएं ढूंढ़ निकाली। अफसोस यह कि उनकी अपनी पार्टी और आरएसएस के उनके विश्वास पात्रों ने उन्हें इस मसले पर अलग-थलग कर दिया। क्या हमारा देश ऐसे किसी गृह मंत्री के व्यवहार को स्वीकार कर सकता है जो उस समय सोता रहा जब गुजरात जल रहा था और हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे जा रहे थे? वामदलों के हमारे दोस्तों को चाहिए कि वे उन मित्रों के बारे में विचार करें जिनके साथ चलने के लिए उन्हें उनके महासचिव के गलत अंदाज की वजह से मजबूर होना पड़ा है।

जहां तक मेरे कामकाज का संबंध है, उस पर फैसला इस पवित्र सदन और भारत के लोगों को करना है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि इन तमाम सालों में चाहे मैं एक वित्त मंत्री के रूप में रहा हूं अथवा प्रधान मंत्री के रूप में, मैंने हमेशा ही इसे एक पवित्र दायित्व के रूप में महसूस किया है और सत्ता की शक्तियों को एक एक सामाजिक विश्वास के रूप में लेकर उनका इस्तेमाल हमारी अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए किया है ताकि हम गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों, जिनसे कि हमारे लाखों लोग अभी भी पीड़ित हैं, से मुक्ति पा सकें । यह एक लम्बी और कठिन यात्रा है। लेकिन इस दिशा में उठाया गया हरेक कदम बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। पिछले चार सालों से हमने यही सब करना चाहा है। इसमें हम कहां तक कामयाब हुए हैं इसका फैसला मैं भारत के लोगों पर छोड़ देता हूं।

जब मैं अपने विरोधियों एवं अवसरवादी लोगों की ओर देखता हूं तो मुझे साफ समझ में आता है कि आज भारत के भविष्य के दो वैकल्पिक सपनों के बीच द्वंद्व है। यूपीए और इसके सहयोगी जिस सपने का प्रतिनिधित्व करते हैं वे एक ऐसा भारत चाहते हैं जो आत्मविश्वास से भरा हो, अखण्ड हो, दुनिया के देशों के बीच अपनी उचित जगह हासिल करने के लिए प्रयत्नशील हो, वैश्वीकृत जगत से मिले अवसरों का पूरा लाभ उठाए, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों पर काम करे, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में करे। इसका ठीक उल्टा सपना है उन लोगों का है जो यहां केवल पद के लालच में और अपने साम्प्रदायिक, कट्टरवादी और संकीर्ण हितों को बढ़ावा देने के लिए एक होकर हमारा विरोध कर रहे हैं। हमारे वामपंथी सहयोगी हमें बताएं कि क्या श्री एल.के.आडवाणी जी उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में स्वीकार्य हैं। श्री एल.के.आडवाणी जी हमें बताएं कि क्या वे यूएनपीए की इच्छा से विपक्ष के प्रधान मंत्री के पद की दावेदारी से अपने को अलग कर लेंगे। उन्हें इस महत्वपूर्ण मसले पर देश को विश्वास में लेना चाहिए।

मैं अपने उद्घाटन भाषण में पहले ही बता चुका हूं कि सदन को अनावश्यक रूप से इस बहस में घसीटा गया है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिंता के कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से हमारा ध्यान न हटे। ये प्राथमिकताएं हैं:

(i) तेल की कीमतों में तेजी से उछाल के कारण आयातित मुद्रास्फीति का मुकाबला करना। हमारा प्रयास विकास दर और रोजगार के अवसरों को चोट पहुंचाए बगैर मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाना है।

(ii) कृषि को पुनर्जीवित करना। कृषि क्षेत्र के लिए निवेश करने और संसाधन उपलब्ध कराने में जो उपेक्षा बरती जा रही थी उसे हमने बहुत कुछ दूर किया है। इस संबंध में हमने जो उपाय किए हैं उन पर वित्त मंत्री जी ने ध्यान दिया है। हमने 231 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हासिल किया है। लेकिन हमें कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है।

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्र-व्यापी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, साफ-सफाई, सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जैसे हमारे अग्रणी गरीब-हितैषी कार्यक्रमों की प्रभाविकता में सुधार करना। इन कार्यक्रमों के ठोस नतीजे हासिल हो रहे हैं। लेकिन इनके कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

(iv) हमने उच्च शिक्षा के विस्तार पर बहुत अधिक जोर देने की पहल की है। इसका उद्देश्य 11वीं योजना के अंत तक उच्च शिक्षा में दाखिले के कुल अनुपात को 11.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक और 12वीं योजना के अंत तक 21 प्रतिशत तक ले जाना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 30 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे जिनमें से 14 विश्वस्तरीय होंगे, 8 नए आईआईटीज, 7 नए आईआईएम्स, 20 नए आईआईआईटीज, 5 नए आईआईएसईआर्स, 2 आयोजना एवं वास्तुशास्त्र विद्यालय, 10 एनआईटीज, 373 नए डिग्री कॉलेज और 1000 नए पॉलीटेक्नीक्स होंगे। ये केवल योजनाएं नहीं हैं बल्कि 3 नए आईआईएसईआर्स पहले से ही चालू हो गए हैं और 2008-2009 के शैक्षिक सत्र से

शेष 2 भी चालू हो जाएंगे। 2 आयोजना एवं वास्तुशास्त्र विद्यालय इस साल से शुरू हो जाएंगे। नए आईआईटीज में से 6 में इस वर्ष से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की योजना अंतिम चरण में है।

(v) एक राष्ट्रव्यापी दक्षता विकास कार्यक्रम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाना।

(vi) नई पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति का संसद द्वारा अनुमोदन और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए कानून बनाना।

(vii) अल्पसंख्यकों के लिए नया 15 सूत्री कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन, आदिवासियों के भूमि अधिकारों के कार्यान्वयन पर विशेष रूप से जोर देना।

(viii) शासन की प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन एक और महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने हमारे लोक प्रशासन के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

(ix) आतंकवादी तत्वों, और वामपंथी अतिवाद और सांप्रदायिक तत्वों से कड़ाई से निपटना जो देश की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं हम उन सभी की गंभीरतापूर्वक जांच कर रहे हैं और ऐसा हम आगे भी करेंगे। लगभग सभी मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर

दिए गए हैं। हमारी खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल बड़ी कठिन परिस्थितियों में बेहतरीन काम कर रहे हैं उन्हें हमारे पूरे सहयोग की जरूरत है। हम उनकी कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के लिए और इनकी प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे।

इन सभी क्षेत्रों में काफी काम हुआ है लेकिन जिस तरह की बहस आज यहां हो रही है उससे उन अनिवार्य कार्यक्रमों और हमारे एजेंडा की शेष मदों से हमारा ध्यान बंटता है। फिर भी हम इन प्राथमिकता वाले कामों पर जोर-शोर से लगे रहेंगे।

मैं ईमानदारी से यह बात कहना चाहूंगा कि इस सत्र और इस बहस की बिलकुल जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने कई बार यह बात कही है कि एक बार IAEA और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा समर्थन कर दिए जाने के पश्चात् हमारा परमाणु करार इस सदन में रखा जाएगा ताकि इस पर सदन अपना विचार व्यक्त कर सके। मैंने अपने वामपंथी साथियों से केवल इतना कहा था: कृपया हमें बातचीत करने दी जाए और परमाणु करार को प्रचालनात्मक बनाने से पहले मैं इसे संसद के समक्ष रखूंगा। इतनी सी औपचारिकता, जो कि किसी भी अच्छी सरकार के कार्यप्रचालन, खासकर विदेश नीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य है उसका मौका भी वे मुझे नहीं देना चाहते थे। उन्होंने वार्ता के हर कदम पर व्यवधान पैदा किया जो कि उचित नहीं है। वे चाहते थे कि मैं उनके बंधुआ मजदूर की तरह काम करूं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में परमाणु करार का उल्लेख बेशक न रहा हो तथापि उसमें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को दांव पर लगाए बिना अमरीका के साथ गहन संबंधों को विकसित करने की जरूरत का स्पष्ट उल्लेख था। कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में अमरीका तथा

रूस जैसी अन्य बड़ी ताकतों के साथ रणनीतिक संबंधों की जरूरत का स्पष्ट रूप से उल्लेख था।

मैंने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में 1991-92 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था: जिस विचार का समय आ गया हो उसे धरती पर कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैंने उस समय इस सदन में कहा था कि भारत के एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने का समय आ गया है।

भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की जो शुरूआत श्री राजीव गांधी ने की थी उनके उस विचार को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक दूरगामी आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किया जिसका फल हर व्यक्ति को साफ दिखाई दे रहा है। उस समय वामपंथियों और भाजपा दोनों ने ही उन सुधारों का विरोध किया था। दोनों ने यह कहा था कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अमरीका के हाथों गिरवी रख दी है और यह कि हम फिर से इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस लाएंगे। उसके बाद इन दोनों ही दलों ने सरकार चलाया है लेकिन कांग्रेस ने 1991 में जो आर्थिक नीति शुरू की थी इन दोनों ही दलों ने उनकी दिशा को नहीं बदला। इससे यह सबक मिलता है कि राजनीतिक दलों को विपक्ष की पार्टी के रूप में उनकी कथनी के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए बल्कि वे सत्ता की जिम्मेदारी संभालने के बाद जो काम करते हैं उसके आधार पर उन्हें आंका जाना चाहिए।

मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि परमाणु करार को लेकर उनके अवसरवादी विरोध के बावजूद इतिहास यूपीए सरकार की प्रशंसा करेगा कि उसने भारत को बढ़ती विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा शक्ति केंद्र बनने की दिशा में एक

बड़ा कदम उठाया। विकास के एक बड़े उपकरण के रूप में आणविक ऊर्जा के इस्तेमाल का जवाहरलाल नेहरू का सपना एक जीवन्त सच बनकर उभरेगा।

आखिर परमाणु करार क्या है? हमारे विकास के विकल्पों को आगे बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा को इस तरह से बढ़ाना कि इससे हमारे बहुमूल्य पर्यावरण को क्षति न पहुंचे और प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग न बढ़े; यही परमाणु करार है।

यदि भारत को गरीबी, अज्ञान, बीमारियों, जो कि आज भी लाखों लोग झेल रहे हैं, से निजात पानी है तो हमें कम से कम दस प्रतिशत सालाना की दर से विकास करना होगा और इस विकास क्रम को हासिल करने के लिए जो बुनियादी जरूरत है वह है ऊर्जा, खासकर बिजली की उपलब्धता। हमें अपनी कृषि, उद्योगों को चलाने, और अपने लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए दिन ब दिन ज्यादा मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। बिजली के उत्पादन को आठ से दस प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ाना होगा।

अब ऊर्जा पैदा करने और हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हाइड्रो-कार्बन भी एक स्रोत है। लेकिन तेल और गैस दोनों से संबंधित हमारे हाइड्रो-कार्बन का उत्पादन, हमारी बढ़ती जरूरतों के हिसाब से बहुत कम है। हम ज्यादातर आयात पर निर्भर हैं। हम सभी को आपूर्तियों और आयातित हाइड्रो-कार्बन के मूल्यों की अनिश्चितता के बारे में पता है।

हमें ऊर्जा आपूर्ति के अपने नये-नये स्रोत खोजने होंगे।

हमारे पास कोयले के बड़े भंडार हैं लेकिन ये भी वर्ष 2050 तक हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। लेकिन कोयले का और अधिक उपयोग करने का विपरीत असर प्रदूषण और जलवायु पर पड़ेगा। हम जलविद्युत का विकास कर सकते हैं और हमें ऐसा अवश्य करना होगा। लेकिन इनमें से कई परियोजनाएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करती हैं। हमें फिर से उपयोग में लाए जा सकने वाली ऊर्जा खासकर सौर ऊर्जा का विकास करना होगा। लेकिन हमें परमाणु ऊर्जा का पूरा पूरा उपयोग करना होगा जो कि ऊर्जा का एक स्वच्छ पर्यावरण हितकारी स्रोत है। दुनिया भर में, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए परमाणु ऊर्जा के बढ़ते महत्व को पहचाना जा रहा है।

भारत के परमाणु वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् विश्व स्तर के हैं। इन्होंने अत्यधिक बाधाओं के बावजूद नाभिकीय ऊर्जा क्षमताओं का विकास किया है। लेकिन कुछ ऐसी अड़चनें हैं जिनसे हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा है। सबसे पहली बात, हमारे देश में यूरेनियम का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। दूसरी, अन्य यूरेनियम उत्पादक देशों के यूरेनियम की गुणवत्ता हमारे देश में उत्पादित यूरेनियम से बेहतर है। तीसरी बात यह है कि 1974 और 1998 के पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद दुनिया भर के देशों ने परमाणु सामग्री, परमाणु उपस्कर और परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके परिणामस्वरूप, हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को धक्का लगा है। लगभग 20 वर्ष पहले, परमाणु ऊर्जा आयोग ने बीसवीं सदी के अंत तक 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा था। आज, वर्ष 2008 में, हमारी क्षमता लगभग 4,000 मेगावाट है और यूरेनियम की कमी के चलते, उनमें से कई संयंत्र अपनी क्षमता से काफी कम स्तर पर काम कर रहे हैं।

जो परमाणु समझौता हम करना चाहते हैं, वह भारत के परमाणु अलगाव, परमाणु भेदभाव को खत्म कर देगा और हमें परमाणु सामग्री, प्रौद्योगिकी और उपस्कर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाने के योग्य बनाएगा। यह दोहरे उपयोग वाली उच्च प्रौद्योगिकियों (dual use high technologies) के व्यापार के लिए नए अवसर प्रदान करेगा जिससे हमारे देश के औद्योगिकीकरण की गति तेज करने के नए रास्ते खुलेंगे। हमारे परमाणु वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के उत्कृष्ट स्तर को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि काफी कम समय में ही भारत सिविल उपयोगों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में उभरेगा।

जब मैं यह सब कह रहा हूं तो मुझे श्री राजीव गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व की याद आती है जो कि राष्ट्र के निर्माण में कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बड़े हिमायती थे। उस समय, अनेक लोगों ने इस विचार की खिल्ली उड़ाई थी। आज, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर एक उभरता हुआ उद्योग है जिसका कारोबार जल्दी ही 50 बिलियन यूएस डालर तक पहुंचने जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारा परमाणु ऊर्जा उद्योग भी भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में इसी प्रकार की भूमिका अदा करेगा।

इस मामले का सार यह है कि ये समझौते, जो हम अमेरिका, रूस, फ्रांस और अन्य परमाणु संपन्न देशों के साथ करेंगे, वह हमारे रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप किए बगैर हमें सिविलियन उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में प्रवेश करने में समर्थ बनाएगा। हमारे अपने सुरक्षा विचारों और योजनाओं द्वारा निर्धारित हमारे रणनीतिक कार्यक्रम का विकास स्वतंत्र रूप से जारी रहेगा। हमने अपने

रणनीतिक कार्यक्रम में कोई बाहरी हस्तक्षेप या मानीटरिंग अथवा निगरानी को न तो स्वीकार किया है और न ही उसे स्वीकार करेंगे। हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तताा से कभी-भी समझौता नहीं करेंगे। हम अपने परमाणु ऊर्जा अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन करना चाहते हैं ताकि अपनी इस गंभीर प्रतिबद्धता को मजबूत कर सकें कि हमारी रणनीतिक स्वायत्ता से कभी समझौता नहीं किया जाएगा।

मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि इन समझौतों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें आगे और परमाणु विस्फोट करने से रोकता हो यदि ऐसा करना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो। हमारी वचनबद्धता केवल इतनी है कि हमने आगे और विस्फोट के मसले को अपनी इच्छा से स्थगित किया हुआ है। इस प्रकार, ये परमाणु समझौते हमारी रणनीतिक स्वायत्ता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। वह सहयोग, जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, हमें सिविलियन उपयोग के लिए परमाणु सामग्री प्रौद्योगिकियों और उपस्करों के व्यापार के क्षेत्र में देने को इच्छुक है, एनपीटी अथवा सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए बगैर उपलब्ध होगा।

मेरा मानना है कि जो सम्मान पूरा विश्व भारत, इसकी जनता और इसकी क्षमताओं और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए विकास के अग्रणी देश के रूप में उभरने की हमारी संभावनाओं को दे रहा है वह बहुत बड़ा सम्मान है। मैंने अक्सर कहा है कि आज भारत के विकास पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है। दुनिया इस बात को लेकर हमारी बड़ी तारीफ करती है कि हममें वह क्षमता मौजूद है कि हम कानून के शासन और बुनियादी इंसानी आजादी के प्रति सम्मान के लिए प्रतिबद्ध रहकर काम करने वाले लोकतंत्र के ढांचे के भीतर रहते हुए अपना सामाजिक और आर्थिक उद्धार कर सकें।

विश्व चाहता है कि भारत तरक्की करे। जो भी बाधाएं खासकर घरेलू शासन की प्रक्रियाओं में हमारे सामने आती हैं, वे यहीं की अपनी समस्याएं हैं।

मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि 1998 में जब पोखरण-II विस्फोट किए गए थे तो आठ विकसित देशों के समूह ने एक कठोर संकल्प पारित किया था जिसमें भारत की निंदा की गई थी और भारत से एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने की मांग की गई थी।

आज, हाल ही में जापान के होक्काइडो स्थित जी-8 की बैठक में अध्यक्ष द्वारा दिये गये भाषण के सार के अनुसार उन्होंने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच हुए नागरिक परमाणु उर्जा पर करार का स्वागत किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नागरिक परमाणु उर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ व्यापार में आया भारी बदलाव है जो पिछले दस वर्षों से कम की अवधि में आया है।

हमारे आलोचक हम पर यह गलत आरोप लगाते हैं कि इन संधियों पर हस्ताक्षर करने से हमने अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति उनके हवाले कर दी है और उसे अमरीकी हितों के हवाले कर दिया है। इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो नागरिक परमाणु मामलों में हम सहयोग प्राप्त करने जा रहे हैं, वह केवल अमरीका तक सीमित नहीं है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के दिशानिर्देशों में बदलाव से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के 45 सदस्यों, जिनमें रूस, फ्रांस और कई अन्य देश शामिल हैं, के साथ व्यापार का रास्ता खुल जाएगा।

हम इस बात की तारीफ करते हैं कि अमरीका ने नागरिक उपयोग के लिए परमाणु उर्जा के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। अमरीका की पहल के बगैर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी अथवा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के समक्ष भारत का पक्ष आगे नहीं बढ़ा होता।

परंतु इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि भारत पर अपने सोचे-समझे राष्ट्रीय हितों की अपनी धारणाओं से परिचालित अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने में किसी भी तरह का कोई आंतरिक या बाहरी दबाव है। कुछ लोग यह अफ़वाह फैला रहे हैं कि लोगों के समक्ष प्रस्तुत किये गये कागजात के अलावा कुछ गुप्त अथवा छिपे समझौते भी हुए हैं। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा कि करार 123, पृथक्करण योजना और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी के साथ सुरक्षोपाय समझौते के प्रारूप के अलावा कोई भी गुप्त या पोशीदा कागजात नहीं हैं। यह आरोप भी लगाया गया है कि हाईड एक्ट भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर असर डालेगा। हाईड एक्ट जरूर है और वह अमरीकी प्रशासन को यह अधिकार देता है कि वह व्यापक सुरक्षोपायों पर जोर दिये बिना और परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किये बिना भारत के साथ सिविल परमाणु सहयोग कर सकता है। उसमें कुछ सुझावात्मक उपखंड शामिल हैं परंतु वे हमारी विदेश नीति के प्रचालन को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते और उन्हें ऐसा करने भी नहीं दिया जाएगा। हम करार 123 में की गई सहमति पर प्रतिबद्ध हैं। इस करार में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी रणनीतिक स्वायत्तता या स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की हमारी क्षमता को प्रभावित करे। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारी विदेश नीति हमेशा हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। ऐसा इससे पूर्व भी होता रहा है और भविष्य में बड़ी शक्तियों तथा पश्चिम एशिया के हमारे पड़ोसी खासकर ईरान, ईराक, फिलिस्तीन और अरब देशों के संबंध में भी होता रहेगा।

हम अमरीका द्वारा ईराक में किये गये हस्तक्षेप से सहमत नहीं हैं। मैंने जुलाई 2005 में वाशिंगटन डी.सी. के राष्ट्रीय प्रेस क्लब में हुई प्रेस वार्ता में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि ईराक में हस्तक्षेप एक बडी भूल थी। ईरान के संबंध में हमारी सलाह यह रही है कि संयम बरता जाए और हम यह चाहेंगे कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जो मुद्दे सामने आये हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी के दायरे में बातचीत और चर्चा द्वारा सुलझा लिया जाए।

मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि अरब देशों के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं। दो वर्ष पूर्व, सऊदी अरब के महामहिम, शाह अब्दुल्ला हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति, सीरिया के राष्ट्रपति, जार्डन के शाह, कतर के अमीर और कुवैत के अमीर ने भारत की यात्रा की है। इन सभी देशों के साथ हमारे ऐतिहासिक, सभ्यतामूलक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, जिन्हें हम एक दूसरे के हित के लिए आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। आज, हमारे रणनीतिक संबंध अमरीका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, चीन, ब्राजील, नाईजीरिया और दक्षिण अफ्रीका समेत सभी बड़ी शक्तियों से हैं। हम पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ नई भागीदारियों को मजबूत कर रहे हैं।

निष्कर्ष

इस दुनिया में किसी व्यक्ति को विश्व की सबसे बड़ी, सर्वाधिक विभिन्नतापूर्ण और सबसे ज्यादा जीवंत लोकतंत्र का प्रबंधन और शासन व्यवस्था सौंपना एक सबसे

बड़ी चुनौती है। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि चार वर्ष पूर्व मुझे इस चुनौती का सामना करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। मैं पूरी निष्ठा के साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष महोदया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं और मेरी पार्टी के प्रत्येक सदस्य को मुझमें विश्वास और भरोसा रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं श्री ज्योति बसु और सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए कृतज्ञता के साथ पुनः अपना आभार व्यक्त करता हूं।

मैंने अक्सर यह कहा है कि मैं एक ऐसा राजनीतिज्ञ हूं जो संयोगवश राजनीति में आ गया। मैंने विभिन्न जिम्मेवारियों को निभाया है। मैं एक शिक्षक रहा हूं, मैं भारत सरकार का एक अधिकारी रहा हूं, मैं विश्व की एक महानतम संसद का सदस्य रहा हूं, परंतु मैं एक सुदूर गांव में एक बच्चे के रूप में बिताए जीवन को कभी नहीं भूला।

जबसे मैं भारत का प्रधानमंत्री बना हूं, तब से मैंने यह बात ध्यान में रखने की कोशिश की है कि मैंने अपने जीवन के प्रथम दस वर्ष ऐसे गांव में बिताए थे जहां पीने का पानी, बिजली, अस्पताल, सड़कें और आधुनिक जीवन शैली के आज मौजूद हर साजो-सामान, उपलब्ध नहीं थे। मुझे स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलना पडता था और मिट्टी के तेल के दीये की मंद रोशनी में पढना पडता था। इस राष्ट्र ने मुझे यह मौका दिया कि मैं यह देखूं कि भविष्य में हमारे बच्चों का जीवन ऐसा न हो।

महोदय, मैं सच्चे दिल से कहता हूं कि इस उच्च पद पर कार्यरत रहते हुए हर दिन मैंने उस सुदूर गांव के बच्चे के सपने को साकार करने की कोशिश की है।

लोकतंत्र की महानता यही में है कि यहां कोई आता है, कोई जाता है। आज यहां हम हैं, कल कोई और होगा। परंतु इस इतने कम समय में भारत के लोगों ने हमें जो जिम्मेवारी सौंपी है, यह हमारा फर्ज है कि हम पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ इन जिम्मेवारियों का निर्वहन करें। जैसा कि हमारे पवित्र ग्रंथों में कहा गया है, अपने कर्मों के लिए हम खुद जिम्मेवार होते हैं और हमें ऐसे कर्मों के फल की इच्छा किये बगैर काम करते रहना चाहिए। मैंने इस उच्च पद पर रहते हुए जो भी किया है, वह सच्चे हृदय से किया है और अपने देश के सर्वाधिक हित में किया है तथा लोगों को अपने जेहन में रखकर किया है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

....